यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उत्तराखण्ड, देहरादून** के माह 08/2013 से 12/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, एवं श्री दीपेश श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री शशिकान्त पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.01.2017 से 02.02.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी दिनांक 20.08.2013 से 31.08.2013 तक श्री डी.के.पिपलानी, व लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया था। जिसमें माह 10/2011 से 07/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2013-14	0	0	400.00	400.00	188.40	182.49	0.00	5.91
2014-15	0	0	1690.55	169.55	339.59	312.14	0.00	27.45
2015-16	0	0	4654.59	4654.59	343.27	321.33	0.00	21.93

- अवशेष धनराशि वर्षांत में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	राष्ट्रीय आयुष मिशन	0.00	284.00	276.288	7.712
2015-16		7.712	621.238	456.500	164.738
2016-17 (upto Dec. 2016)		164.738	0.00	0.00	-

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव- स्वास्थ्य
2. निदेशक- आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
3. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उत्तराखण्ड, देहरादून** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2015 एवं 11/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
133/2005-06	01	01
190/2006-07	02	--
172/2008-09	01	04
62/2011-12	--	03
116/2013-14	--	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

भाग 2 ब

प्रस्तर-1- रु0 712.74 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना ।

भारत सरकार द्वारा संचालित के तहत जारी दिशानिर्देशों मे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुदान हेतु अनुमन्य धनराशि जारी करने के लिए या प्रावधानित है कि "Ministry/Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificates/FMR on provisional basis in respect of grants of the preceding financial year is submitted. Release of grants-in-aids in excess of 75% of approved PIP shall be done only after the Utilization Certificates and the Annual Audited Statement relating to grants-in-aids released in preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry concerned. Ministry or Department would, however, ensure even flow of expenditure throughout the year. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and inspection reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports, if any, received for the year should also be looked into while sanctioning further grants."

इकाई कि लेखापरीक्षा के दौरान यह प्रकाश मे आया कि वर्ष 2004-05 से लेखा परीक्षा तिथि तक (दिसम्बर 2016) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड आयुष विभाग को प्रदान की गयी धनराशि रू. 2819.36 लाख के सापेक्ष रु0 712.14 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभिन्न इकाइयो से प्राप्त कर भारत सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

इस संबंध मे इकाई से पुछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि इकाई से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रकरण कई वर्षो से लंबित है ।

इस प्रकार कुल धनराशि रु0 712.14 लाख के अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- ` 837621 की अनियमित खरीद।

शासनादेश सं. 2015/XXVIII-1-2004-10/2001 दिनांक 14.09.2004 के अनुसार (सपलित 1786/XXXX/2014-10/2003 दिनांक 03.12.2014) औषधि मद के कुल बजट का 10% भाग दैवीय आपदाओं मेलें, कैम्प आदि की व्यवस्था हेतु रोककर शेष 90% धनराशि अधीस्थ कार्यालयों को आवंटित की जायेगी।

पुनः उक्त 90% धनराशि की औषधियों का क्रय शासन द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से कराया जाय। आवंटित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष 40% धनराशि की पेटेन्ट औषधियों एवं 10% आकस्मिक चिकित्सा वर्णोपचार संबंधी औषधियों निदेशालय स्तर से तथा 50% धनराशि की शास्त्रोक्त औषधियाँ अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर क्रय की जायेगी।

निदेशालय द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच से स्पष्ट हुआ कि केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत क्रय की गयी औषधि निर्धारित सीमा (90%) के अनुसार (वर्ष 2014-15, 2015-16 में) नहीं है।

इसी प्रकार राज्य सहायतित योजनान्तर्गत औषधि क्रय संबंधी सूचना की जांच से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में औषधि क्रय निर्धारित सीमा 90% से कम है। आगे, आकस्मिक चिकित्सा हेतु खरीद निर्धारित 10% की सीमा से कम और शास्त्रोक्त औषधियों की खरीद निर्धारित सीमा 50% से अधिक की गई थी। उपरोक्त खरीद नियमानुकूल नहीं होने के कारण अनियमित थी।

इस प्रकार वर्ष 2014-15, 2015-16 में की कुल औषधि खरीद (` 11515918 + ` 9424603) = ` 20940521 में ` 837621 की अधिक खरीद अनियमित थी।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि दैवीय आपदा से संबंधित औषधियों साथ में ही क्रय की जाती है। जिसे जिला स्तरीय औषधि भण्डार से यथा समय प्रयोग किया जाता है। खरीद की प्रतिशतता के संबंध में उत्तर दिया कि क्षेत्रीय इकाईयों से सम्पर्क कर अन्तिम आख्या महालेखाकार कार्यालय प्रेषित की जायेगी।

विभागीय आख्या उक्त शासनादेश के आलोक में सुसंगत नहीं होने के कारण अस्वीकार्य है। प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर-3- रु0 318.75 लाख का विगत चार वर्षो से अवरोधन के कारण निर्माण कार्य कि लागत मे रु0 241.3 लाख की वृद्धि ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2012 में केंद्रीय सहायता प्राप्त आयुष चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरी के विकास के लिए ` 747.80 लाख के लागत से देहारादून मे बनने वाले 50 बेड के चिकित्सालय के स्थापना के लिए ` 318.75 लाख का प्रथम किस्त पत्र संख्या आर0आई0 1012/30/2011-12/एच0&डी0 सेल दिनांक 19 मार्च 2012 द्वारा निर्गत किया गया था। चिकित्सालय निर्माण के लिए 85 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष 15 प्रतिशत भाग उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

इकाई के लेखा अभिलेखो के निरीक्षण मे यह प्रकाश मे आया कि देहारादून मे भूमि उपलब्ध न होने के कारण उत्तराखंड सरकार द्वारा चिकित्सालाय का निर्माण देहारादून के स्थान पर हल्द्वानी मे किए जाने का निर्णय लिया गया था जिसके लिए दिनांक 29 जुलाई 2013 को सचिव उत्तराखंड द्वारा हल्द्वानी सरस मार्केट स्थित राजकीय भूमि में से चिकित्सालाय के निर्माण के लिए मुफ्त मे 0.103 हेक्टेयर भूमि जिलाधिकारी नैनीताल को उपलब्ध करा दी गयी थी । परंतु 04 वर्षो कि अवधि व्यतीय हो जाने के उपरांत भी विभाग द्वारा उपरोक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 05 जुलाई 2016 को 989.17 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 20 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लिमिटेड के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 1 सितंबर 2016 तथा कार्य समाप्त करने की तिथि 01 अक्तूबर 2018 है। दिनांक 16 अगस्त 2016 को कार्यदायी संस्था को प्रथम किस्त के रूप मे 113.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। विभाग द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2016 को उपरोक्त निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार विगत चार वर्षो से कार्य अवरुद्ध रहने के कारण लागत मे रू. 241.30 लाख कि वृद्धि हो गयी थी।

इकाई से यह पुछे जाने पर कि विगत चार वर्षो से निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यो नहीं किया जा सका तथा कार्य की लागत मे हुई वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है इकाई ने अवगत कराया कि धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास अवरुद्ध रहने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका जिसके कारण कार्य के लागत मे वृद्धि हो गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ही निर्गत कराई गई थी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से धनराशि आहरित कर कार्य सम्पन्न कराया जा सकता था।

इस प्रकार विगत चार वर्षो से निर्माण कार्य न कराये जाने के कारण निर्माण कार्य की लागत मे 241.3 लाख की वृद्धि एवं रु0 318.75 लाख का विगत चार वर्षो से अवरोधन का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- ` 64.12 लाख का ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़ा रहना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की Operational financial management guidelines के अनुसार The Resources allocated to a particular state for any given financial year is termed as the "Resource Evelope". The resource evelope for a Financial Year consists of:

- Uncommitted Unspent Balance
- GoI Allocation (BE) propsed for the year
- State Share Contribution due for the year

प्रत्येक राज्य अपना वार्षिक कार्य योजना बनाते हुए निम्न बातों का ध्यान रखेंगेः

- Funds released under NRHM donto lapse at the close of the Financial Year but are carried over the next Financial Year in the committed and uncommitted unspent balance.
- ***Clear demarcation of Committed Unspent and Uncommitted unspent balance:*** The states need to show the quantum of usage of funds in the previous year and the quantum of unspent funds lying with them.

इन दिशानिर्देशों के अनुसार यदि किसी निधि का उपयोग नहीं होता तो भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना प्रेषित करते समय अनुपयोगित निधि वार्षिक कार्ययोजना में दिखाई जानी चाहिए।

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं या उनकी सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आवंटित धनराशि के रख रखाव के लिए पंजाब नेशनल बैंक एवं इलाहाबाद बैंक में खाते खोले गए है। उपरोक्त मदों/योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि पर माह 12/2016 के अंत तक कुल ` 64.12 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित हुई थी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

मद/योजना	खाता खंख्या	बैंक	अर्जित ब्याज (12/2016 तक)	जमा की गयी धनराशि (12/2016 तक)	अवशेष ब्याज की धनराशि
उत्तराखण्ड स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी	50270832787	इलाहाबाद बैंक	1663216	---	1663216
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ	1175000110189176	पी.एन.बी.	1421713	---	1421713
एन.आर.एच.एम.	11750001100188800	पी.एन.बी.	2231161	---	2231161
उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्याल	---	---	1096207	---	1096207
	योग	**6412297**			**6412297**

उपरोक्त से स्पष्ट है की ब्याज के रूप में अर्जित ` 64.12 लाख की धनराशि में से 12/2016 तक कोई धनराशि इकाई द्वारा नहीं जमा की गयी थी तथा ` 64.12 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि खातों में अवरूद्ध पड़ी हुई थी जो

कि न तो 0049 लेखाशीर्ष में जमा की गयी थी न ही भारत सरकार को भेजी जा रही कार्य योजना में प्रदर्शित की जा रही है।

उपरोक्त के संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उपरोक्त के संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 64.12 लाख की अर्जित धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ.ए.के. त्रिपाठी	निदेशक	07/2013 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)